तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मंजू देवी उर्फ संतोष देवी बनाम सायरी देवी अपील संख्याः-जीसीएमएस नम्बर 2022/512	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने प्रस्तुत करने पर बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी श्री एन.के.यादव, एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है और राजीनामा अनुसार अपीलार्थीगण इस अपील में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इसलिये उपरोक्त अपील में विड्रो किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील में अपील को विड्रो किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावे जिसमें अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपील विड्रो बाबत् अनापत्ति जाहिर की । हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थीगण स्वंय ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थीगण के पहचान पत्र को तस्दीक किया गया। अतः अपीलार्थीगण का प्रा. पत्र विड्रो स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीगण स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (डॉ. आरुषि मलिक) संभागीय आयुक्त जयपुर	